क.रा.बी.नि
E.S.I.C
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
सत्यमेव जयते
मुख्यालय/Headquarters
पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002
Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110002
Phone: 011-23237841, Email: estt5-hq@esic.nic.in
Website: www.esic.nic.in/ www.esic.in

संख्या: ए-24/14/01/CommonSeniority/2022/स्था.5 (ई-3305) **दिनांक:-** 12/07/2024.

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- दिल्ली क्षेत्र (मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली तथा निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली) में कार्यरत अवर श्रेणी लिपिक की वर्ष 2021 (01.01.21 से 31.12.21) की संशोधित मसौदा वरीयता सूची।

इस शाखा के समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 16.02.2024 के द्वारा दिल्ली क्षेत्र (मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली तथा निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली) में तैनात अ.श्रे.लि की वर्ष 2021 (01.01.2021 से 31.12.2021) की स्थिति के अनुसार मसौदा वरीयता सूची सभी संबंधितो के बीच परिचालित की गयी थी एवं दिनांक 05.03.2024 तक आपत्ति/त्रुटि मांगी गयी थी।

2. उक्त के संबंध में कार्मिकों एवं संघ से आपत्ति प्राप्त हुई है जिसकी विवरणी निम्नानुसार है-

क्र.स.	नाम	आपत्ति की सारांशित विवरणी	निर्णय
1.	ESIC Headquarters Employees' Union	दिनांक 29.05.2018 को सम्पन्न हुई कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 174 वीं समिति के अनुसार दिल्ली क्षेत्र में कार्यरत बहुकार्य कर्मचारी, अ.श्रे.लि, प्र.श्रे.लि तथा सहायको की संयुक्त वरीयता बनाने के लिए वहीं procedure अपनाया जाएगा जो सहायक संवर्ग में All India Seniority तैयार करने के लिए किया जाता है। स्था. शाखा-2, मुख्यालय ने सहायक संवर्ग की All India Seniority तैयार करने की नई नीति का मसौदा दिनांक 17.01.22 को परिचालित किया तथा दिनांक 24.05.22 को अंतिम घोषित किया किया है परंतु स्था. शाखा-5 द्वारा अभी भी बहुकार्य कर्मचारी, अ.श्रे.लि, प्र.श्रे.लि की संयुक्त वरीयता सूची, सहायक संवर्ग की All India Seniority तैयार करने की पुरानी नीति से ही बनाई जा रही है अत: अनुरोध किया है कि बहुकार्य कर्मचारी, अ.श्रे.लि, प्र.श्रे.लि की संयुक्त वरीयता सहायक संवर्ग की All India Seniority तैयार करने की नई नीति से बनाई जाए।	चुंकि सहायक संवर्ग में DPC एवं LDCE Quota है, DR Quota नहीं है परंतु बहुकार्य कर्मचारी एवं प्र.श्रे.लि में DR Quota है एवं DR Quota होने के कारण अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर वरीयता निर्धारित की जाती है अत: बहुकार्य कर्मचारी एवं प्र.श्रे.लि की संयुक्त वरीयता बनाने में स्था. शाखा-2 द्वारा परिचालित नई नीति लागु नहीं की जा सकती है। एवं अ.श्रे.लि संवर्ग में सहायक संवर्ग की तरह ही DPC एवं LDCE Quota है, DR Quota नहीं है। अत: सक्षम अधिकारी ने दिल्ली क्षेत्र के अ.श्रे.लि की वर्ष 2021 से आगे की संयुक्त वरीयता, स्था. शाखा-2 द्वारा जारी सहायक संवर्ग की All India Seniority तैयार करने की नई नीति दिनांक 24.05.22 के अनुसार तैयार करने का अनुमोदन प्रदान किया है।
2.	SC/ST Officers' & Employees' welfare Association		
3.	Employees of Hqrs. Office (Sh. Pritpal Singh, Sh. Jitender Meena, Sh. Naveen Kumar, Sh. Anil Kumar, Sh. Jasram Meena, sh. Sandeep Yadav, Sh. Pradeep Kumar, Sh. Narender Kumar, Sh. Vinod Kumar)		
4.	DMD	निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली में कार्यरत श्रीमती सुनीता, श्री सुनील कुमार तथा श्री नागेंद्र ने सूचित किया है कि उन्हें वर्ष 2021 की संयुक्त वरीयता सूची	निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली ने वर्ष 2021 की विवरणी भेजते समय इस मामले से स्था. शाखा-5 को अवगत नहीं कराया

		में दर्शाया गया है जबकि उन्होने वर्ष 2018 में आयोजित LDCE के तहत अ.श्रे.लि की परीक्षा उतीर्ण की थी परंतु Penalty के कारण क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली द्वारा LDCE-2018 का supplementary परिणाम दिनांक 25.11.21 को जारी किया गया जिसमें सूचित किया है कि है Seniority of the officials will be fixed in the respective vacancy year in which they have selected as mentioned against their name. अत: अनुरोध किया है कि उनका नाम वर्ष 2021 की संयुक्त वरीयता सूची से हटा कर संबंधित vacancy year में शामिल किया जाए।	था अत: इन कार्मिक का नाम वर्ष 2021 की संयुक्त मसौदा वरीयता में शामिल किया गया। सक्षम अधिकारी ने अनुमोदन प्रदान किया है कि इन कार्मिको का नाम वर्ष 2021 की संयुक्त मसौदा वरीयता सूची से हटा दिया जाए एवं क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली/निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली को निर्देश दिया है कि इन कार्मिको की वरीयता क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली द्वारा दिनांक 25.11.21 को जारी LDCE-2018 के supplementary परिणाम में उल्लेखित शर्तो के आधार पर संबंधित Vacancy year में शामिल कर इस शाखा को सूचित करें।

3. अत: सक्षम अधिकारी ने दिल्ली क्षेत्र (क.रा.बी.नि मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली तथा निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली) के अ.श्रे.लि की वर्ष 2021 से आगे की संयुक्त वरीयता सूची (Common Seniority List), स्था. शाखा-2 द्वारा जारी सहायक संवर्ग की All India Seniority तैयार करने की नई नीति दिनांक 24.05.22 के तहत निम्न मापदंड के अनुसार तैयार करने का अनुमोदन किया है-

(a). Every employee at Sl. No. 1 in the individual seniority List of LDC in Hqrs, RO Delhi, D(M)D for the Vacancy year/Recruitment year will be taken first to decide the seniority among the employees placed at equal level.

(b). Length of Regular service in the cadre of MTS will be the criteria to determine seniority among the persons at the same serial number in Hqrs., RO Delhi, D(M)D.

(c). In case where multiple persons with equal length of service is available, Date of Birth will be taken as the determining factor. Those who are elder will be placed senior in the list.

(d). In case where both the above two criteria are found to be same, alphabetical order of their name in English will be the criteria to determine the senior among them.

(e). Similarly, the employees at Sl. No. 2 in the individual seniority List of LDC in Hqrs, RO Delhi, D(M)D will be considered next to decide the seniority among the employees placed at equal level and so on till every LDC in Hqrs, RO Delhi, D(M)D are placed in the list.

(f). The number of regular LDCs may vary among Hqrs, RO Delhi and DMD. After exhaustion of inter-se placement of matching numbers of Hqrs, RO Delhi, D(M)D, the remaining persons, if any, will be placed enbloc at the bottom of the list.

4. इस शाखा के समसंख्यक पत्र दिनांक 16.02.24 के द्वारा जारी दिल्ली क्षेत्र के अ.श्रे.लि की वर्ष 2021 की मसौदा वरीयता सूची को रद्द करते हुए क्र.स.-3 में दर्शाये गए मापदंडो के अनुसार दिल्ली क्षेत्र में तैनात अ.श्रे.लि की वर्ष 2021 (01.01.2021 से 31.12.2021) की स्थिति के अनुसार संशोधित मसौदा वरीयता सूची इस पत्र के साथ संलग्न कर सभी संबंधितो को उनके नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से परिचालित की जाती है। वरीयता सूची में यदि कोई आपत्ति/त्रुटि हो तो उसे दिनांक 31.07.2024 तक स्थापना शाखा-5 की जानकारी में लाएं। इस

अवधि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र/प्रतिवेदन विचारणीय नहीं होंगे।

5. क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली एवं निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को यह निदेश दिया जाता है कि वे अपने प्रतिवेदन, यदि कोई है तो, क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली एवं निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली के माध्यम से ही भेजे। प्रतिवेदन सीधे मुख्यालय में भेजने पर उनके प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली एवं निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली को यह सूचित किया जाता है कि आपत्ति/त्रुटि मुख्यालय भेजते समय अपनी टिप्पणी/तथ्य भी भेजे ताकि उचित कार्यवाही की जा सके। बिना टिप्पणी/तथ्य के भेजे गए आवेदन पत्र/प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

The attached seniority list is also subject to the final outcome of O.A. No 3749/2018 filed before the Central Administrative Tribunal, Principal Bench, Delhi.

संलग्न: यथोपरि।

Signed by Pankaj Kumar
Date: 12-07-2024 15:42:33

(पंकज कुमार)
सहायक निदेशक (स्था.5)
कृते अपर आयुक्त (स्था.5)

प्रतिलिपि:-

1. संबंधित कार्मिक, क.रा.बी.नि मुख्यालय।
2. क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली और निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली से अनुरोध किया जाता है कि उनके अधीन कार्य करने वाले संबंधित अ.श्रे.लि को मसौदा वरीयता सूची परिचालित करें एवं उपरोक्त टेबल के क्र.स.-4 में दिए गए निदेशो के अनुसार कार्यवाही कर इस शाखा को सूचित करें।
3. नोटिस बोर्ड/ व्यक्तिगत फाईल/ गार्ड फाईल।
4. वेबसाईट कंटेट मैनेजर को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।